



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-02-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से असलाह/कारतूस बरामद**

➤ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➤ 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2024 को वादी श्री असजद पुत्र इसरार निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा थाना नांगल पर एक किता प्रार्थना पत्र बावत बावत अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर वादी के भाई हाफिज अहमद पुत्र इरशाद उम्र करीब 45 वर्ष की मृत्यू कारित कर देने के सम्बन्ध में दाखिल की। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 27/24 धारा 279/304ए भादवि पंजीकृत कराया गया था। गहनता से विवेचना के दौरान उक्त मुकदमें में सड़क दुर्घटना न होकर हत्या के तथ्य प्रकाश में आये। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 302/120बी भादवि में परिवर्तित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री त्रिभुवन सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते अभियुक्तगण 1. सुहैल पुत्र कामिल निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर 2. शोयब पुत्र कामिल निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर व 3. ऐबाद पुत्र मुस्तकीम निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर को साधारण सिर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेशी पर हत्या में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मुझे पता चला कि हाफिज अहमद के मेरी माँ के साथ अनैतिक सम्बन्ध है। एक बार मैंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसकी जानकारी शोयब व ऐबाद को भी थी। उसी दिन हम लोगों ने हाफिज अहमद को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी, तमंचा व कारतूस मुझे मेरे भाई शोयब व ऐबाद ने लाकर दिये गये तथा दिनांक 05.02.2024 मैंने हाफिज अहमद

की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तमंचा मशरूफ के आम के बाग में झाड़ियों में छिपा दिया था जो मैंने आज बरामद करा दिया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. सुहैल पुत्र कामिल निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. शोयब पुत्र कामिल निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. ऐबाद पुत्र मुस्तकीम निवासी ताशीपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर

**विवरण बरामदगी:-**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 350 फसीह अकरम थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. है0का0 757 सन्नी थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. है0का0 186 मनोज धामा थाना नांगल जिला सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक – 08.02.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा साइबर हैल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित के साइबर फ्राड के माध्यम से**  
**उगे गये 14,200/- रुपये कराये वापस**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा साइबर हैल्प डेस्क द्वारा दिनांक 02.01.24 को थाना स्थानीय पर प्राप्त साइबर शिकायत संख्या- 33102240012960 में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित नवीन कुमार पुत्र श्री कंवरपाल सिंह निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के साइबर फ्राड में गये 14,200/- रुपये वापस कराये गये। पीडित द्वारा रुपये वापस आने पर थाना सरसावा साइबर हैल्प डेस्क टीम का आभार प्रकट किया है।

**साइबर हैल्प डेस्क टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री नरेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. क0आ0 सुमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2246 लोकेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक – 08.02.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08/02/24 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 वारंटी अभियुक्त इखलाक पुत्र नत्थू निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 457/24, मु0अ0सं0— 247/11 धारा—323/325/504 भादवि चालानी थाना को0नगर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर नियत तिथि 05.03.2024 को नूरबस्ती से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इखलाक पुत्र नत्थू निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगांव के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.02.2024 को 01 वारण्टी अभियुक्त अभियुक्त 1. संजय पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव उम्र 47 वर्ष सम्बन्धित वाद स० 2678/2022 धारा 302 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजय पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० बनवारीलाल सिंह थाना बडगांव जनपद , सहारनपुर।
2. है०का० 269 भगत सिंह थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।
3. है०का० 16 सोनू थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।
4. है०का० 908 ऋषिपाल थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 08-02-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़, पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को 10 घण्टे के पीसीआर में लाकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त, 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर किया बरामदा**

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2024 को वादी श्री अंकुश पुत्र श्री जसवीर सिंह निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल की अपरोक्त के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 07/4 धारा 147/148/149/307/504 भादवि बनाम 1. सन्नी पुत्र पप्पू निवासी खेड़ा कुटी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. बन्टी पुत्र सतीश निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. रोहित उर्फ ददु पुत्र राजवीर निवासी जुड्डी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 4. टिंकू पुत्र रामनाथ निवासी कुराली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 5. संजय पुत्र रामनाथ निवासी कुराली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर तथा कुछ अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त सन्नी को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश से आज दिनांक 08.02.2024 को अभियुक्त **टिंकू पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम कुराली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को **10 घण्टे के पीसीआर** पर थाना लाया गया। जिसकी निशादेही पर इस्लाम जर्हा के आम के बाग से घटना में प्रयुक्त **01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद** हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त टिंकू उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और बन्टी आपस में दोस्त है मेरे साथी बन्टी के साथी सन्नी ने अपने दोस्त शुभम पुत्र विजय उर्फ वीजा निवासी साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर से कुछ दिन पहले 2000 रुपये उधार लिये थे जिनमें से सन्नी ने 1500 रुपये उसे वापस कर दिये थे और 500 रुपये फिर कभी देने बात हुयी थी लेकिन शुभम ने अपने ही गांव के अर्जुन राठी पुत्र जसवीर से शिकायत कर दी तो उसने जब सन्नी को दबंगाई दिखाते हुए बात की तो सन्नी ने मुझसे बात की ओर मेरी अर्जुन से बात हुयी ओर हम दोनो में तनातनी हो गई। दिनांक 14.01.2024 की शाम के करीब 6.30 बजे शुभम व अर्जुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम खेड़ा कुटी चौराहे पर सन्नी की दुकान के सामने सन्नी व उसके भाई अजय कुमार पर जान से

मारने की नियत से तमचों से फायरिंग कर दी थी । जिसके बाद हम तीनों ने एक राय होकर एक मो0 सा0 पर बैठकर ग्राम साल्हापुर के पास अर्जुन के महादेव सिटी ऑफिस पर गये थे मेरे पास तमन्चा था मैंने अपने तमन्चे से अर्जुन के भाई अंकुश के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। जिस तमन्चे मैंने फायरिंग की थी वह तमन्चा व एक कारतूस मैंने एक पन्नी मे रखकर नकुड सरसावा रोड पर इस्लाम जर्हा के आम के बाग मे एक पेड के नीचे छिपा कर रखा दिया था जिसे आज पुलिस ने बरामद कर लिया है।

### **अभियुक्त का नाम व पता:-**

टिंकू पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम कुराली थाना नकुड जनपद सहारनपुर

### **अभियुक्त टिंकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0-296/19 धारा 307/393 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 419/19 धारा 392 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 127/19 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 234/17 धारा 307/323/325/506 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 421/19 धारा 307/414 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 618/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 135/19 धारा 307/394 भादवि चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 162/19 धारा 392 भादवि चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 07/24 धारा 147/148/149/307/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 122/2022 धारा 307/386 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण –**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### **अभियुक्त की निशादेही से बरामदगी करने वाले पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर पाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 08-02-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे 02 वारण्टी अभियुक्त **1. अमित पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम पूजनेकी थाना बेहट सहारनपुर** **2. सन्दीप पुत्र भोपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं०- 628 /18 मु०अ०सं० 114/04 धारा 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि० चालानी थाना बेहट न्यायालय श्रीमान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय परिषद सहारनपुर को अभियुक्त गण के मकान ग्राम मुसैल व ग्राम पूजने से समय क्रमशः 07.00 बजे व 07.45 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-**

अमित पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम पूजनेकी थाना बेहट स०पुर  
सन्दीप पुत्र भोपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री केदार सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. का० 1924 प्रताप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का० 1767 पिकरपाल थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर





-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त मसरूर पुत्र मतलूब निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी नपद सहारनपुर को 01 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0- 21/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त मसरूर पुत्र मतलूब निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी:

01 चाकू नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- उ0नि0 श्री रनपाल सिंह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- है0का0 141 विनित कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- कां0 2381 राहुल कुमार जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08/02/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 शांतिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 50 कि०गा० गौमांस व गौकशी के उपकरण बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संघन चैकिंगगश्त की जा रही है। इसी क्रम में/ पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- मुनशेर पुत्र वकील 2-इरफान पुत्र गफ्फूर निवासीगण ग्राम सरकडी खुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3- आजाद पुत्र रसीद नि० ग्राम खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को ग्राम सरकडी खुमार में सुनारो के आम के बाग से करीब 50 किलो गौमांस तथा गौवंश के अवशेष व गौकशी के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 47/24 धारा 3/5/8 सीएस बनाम मुनशेर आदि उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-**

- 1- मुनशेर पुत्र वकील नि० ग्राम सरकडी खुमार थाना को०देहात जनपद सहारनपुर
- 2-इरफान पुत्र गफ्फूर नि० ग्राम सरकडी खुमार थाना को०देहात जनपद सहारनपुर
- 3- आजाद पुत्र रसीद नि० ग्राम खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र०नि० सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ०नि० दीपचन्द यादव थाना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ०नि० सुन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. एचसी 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. एचसी 829 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
6. का० 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-02-2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाड़ी करते 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार अधाना के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रिजवान पुत्र शब्बीर नि0 मौ0 धनकटी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को ग्राम कैलाशपुर बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0- 24/24 धारा- 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रिजवान द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं सट्टे की खाई बाड़ी कर अपना भरण पोषण करता हूँ। आज भी मैं सट्टे की खाई बाड़ी कर रहा था तो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र शब्बीर नि0 मौ0 धनकटी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 62/18 धारा- 13 जुआ अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 24/24 धारा- 13 जुआ अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

- 01 सट्टा पर्चा व 01 पैस
- 920 रूपये नकद

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 464 शोभित कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 629 धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर